कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

दिनांक : 25.4.19

क्रमांक : 117

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :– Diversion of 2.50 ha of forest land for construction of (Online Proposal No :- FP/RAJ/ROAD/6996/2014) road from Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/17–18 9442–44 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2..50 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.50 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.50 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.50 है0 X 164100/– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 410250/– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.50 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई– रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी हेतु जमा धनराशि का विवरा दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया	शर्त संख्या 3 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.50 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1565000/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.4.19 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। (ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई– रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

	जाएगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर कियां आयेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त सख्या 4 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। मक डिस्पोजल योजना कार्य अनुमति (Working Permission) के पूर्व प्रेषित की जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया जाएगा।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त सख्या 7 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 8	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।	वन विभाग से सम्बन्धित है।

(आर.के. सैनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ग) की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्त्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंधन नही किया जायेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक : 25.04.2019

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि भंवरगढ़ से रनवासी सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही होगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ ...... दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

— आदेश :—

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/5814–20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/14–15 /16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528–29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.–3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	रकबा (है०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	[illegible]	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			133	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1178	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 है०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ ...... 26 दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
बारां

Land to be allotted to Forest Department

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
	Old Cases					
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामोनी से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
	New Cases					
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जैतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलावड़ा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच.-76 किमी. 573/0 से मुझा	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा	4.00	
12	Shahbad	SBD ~~Kishanganj~~	RIDF-XVII (RSAMB)	कस्बाथाना से बमनगवा	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किशनपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर मुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(सुनिल माथुर)
अधीक्षण अभियंता
सा0नि0वि0 वृत बाँरा

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment done by
T.V.No - 3749
23/4/19

उपकोषाधिकारी
शाहाबाद (जिला–बारां)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

T.V. No. - 3749
23/4/19

उपकोषाधिकारी
शाहाबाद (जिला-बारां)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 759 दिनांक : 11-09-2020

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :– Diversion of 2.50 ha. Of forest land for construction of road from Bhanwargarh road to Ranwasi under RRSMP in Raj. In Baran forest Division. के संबंध में।
(प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/6988/2014) (2.50 हे.)

संदर्भ :– आपका पत्रांक एफ.सी.ए./उवसं/19–20/ 3463 दिनांक 11.04.2020 एवं श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.14 ( ) 2014/बारॉ रोडस/एफसीए/प्रमुवसं/1940–41 दिनांक 24.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.		
1	राज्य में वेज रेट परिवर्तन होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में परिवर्तन हुआ है। अतः अब शर्त संख्या 2 से 2.5 हे. क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रूपये 1,64,100/– प्रति हे. की दर से रूपये 4,10,250/– केम्पा नई दिल्ली में ऑनलाईन जमा करा रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करें।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 2.50 हे. पर क्षतिपूति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.50 हेक्टर X 164100/– रूपये प्रति हेक्टर की दर से राशि 410250/– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.50 हे. गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई है। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें	संलग्न कर दी गई है।

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

rediffmail Mailbox of pwd_shahabad

Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-fc@nic.in on Thu, 18 Apr 2019 13:00:59

To: pwd_shahabad@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Propsal Detail

1. **Proposal No.** : FP/RJ/ROAD/6996/2014
2. **Proposal Name** : Road from Bhanwargarh to Ranwasi
3. **Category of the Proposal** : Road
4. **Date of In-principle** : 08/09/2014
5. **Name of the Applicant with Contact Details**

Name	: PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Mobile No.	: 9414286802
Email ID	: pwd_shahabad@rediffmail.com
State	: Rajasthan
District	: Baran
Pincode	: 325217

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation	: Rs. 410250/-
2. Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
5. Safety Zone	: Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	: Rs. 1565000/-
8. Other Charges	: Rs.0/-
9. Other Charges1	: Rs.0/-
10. Other Charges2	: Rs.0/-
11. Other Charges3	: Rs.0/-
Total Amount	: Rs. 1975250/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(अशोक समादय)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश कमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम ताखा की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक (नरेन्द्र शर्मा (व.र.)

2 नाका प्रभारी 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

2 कानूनगो 6-9-17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

FCA letter 18-4-17

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम सोरसन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि पौधारोपण कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक

2 नाका प्रभारी

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

2 कानूनगो

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि जोकि कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.80
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक [illegible] (नरेन्द्र शर्मा (व.र.)

2 नाका प्रभारी किशन मीणा 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी [illegible]

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अन्ता (वि0) बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

[illegible]

1 हल्का पटवारी [illegible]

[illegible] 6/9/17

2 कानूनगो [illegible] 6-9-17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- ताखा

पटवार हल्का :- मानपुरा

भू.अभि.नि. :- खजूरनाकला

तहसील :- अन्ता

जिला :- बाराँ

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 105

खाता संख्या पुराना :- 100

काश्तकार का नाम:-

1. उपवन संरक्षक बारां वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
368	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00			
कुल खसरे - 1	2.2500		2.2500				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सोरसन

पटवार हल्का :- सोरसन

भू.अभि.नि. :- सोरसन

तहसील :- अन्ता

जिला :- बारॉं

अंतिम चौसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 617

खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1173	19.1500	गैं.मु.जंगल 19.1500	0.00			
1175	19.7600	गैं.मु.जंगल 19.7600	0.00			
1176	2.0000	गै.मु.जंगल 2.0000	0.00			
1177	18.6600	गै.मु.बरड़ा 18.6600	0.00			
1527	26.0000	गैं.मु.जंगल 26.0000	0.00			
1528	32.8500	गैं.मु.जंगल 32.8500	0.00			
1529	31.5000	गैं.मु.जंगल 31.5000	0.00			
1530	17.6000	गैं.मु.जंगल 17.6000	0.00			
1531	21.0000	गैं.मु.जंगल 21.0000	0.00			
1532	20.0000	गैं.मु.जंगल 20.0000	0.00			
1533	15.0000	गैं.मु.जंगल 15.0000	0.00			
1543	12.4900	गैं.मु.जंगल 12.4900	0.00			
1544	11.4500	गैं.मु.जंगल 11.4500	0.00			
1548	24.3600	गैं.मु.जंगल 24.3600	0.00			
1552	20.0000	गैं.मु.जंगल 20.0000	0.00			
1781	15.2600	गैं.मु.जंगल 15.2600	0.00			
1784	6.3100	गैं.मु.जंगल 6.3100	0.00			
1785	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1786	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1787	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1788	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1789	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1790	13.3400	गैं.मु.जंगल 13.3400	0.00			
1791	6.0000	गैं.मु.जंगल 6.0000	0.00			
1795	12.0000	गैं.मु.जंगल 12.0000	0.00			
1796	11.1000	गैं.मु.जंगल 11.1000	0.00			
1796/1968	0.9000	गैं.मु.जंगल 0.9000	0.00			
1797	8.0000	गैं.मु.जंगल 8.0000	0.00			
1798	12.0000	गैं.मु.जंगल 12.0000	0.00			
1799	7.5600	गैं.मु.जंगल 7.5600	0.00			
2136/1524	20.0600	गैं.मु.जंगल 20.0600	0.00			

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
लो.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

	21.3800	गै.मु.जंगल	21.3800	0.00
	16.0600	गै.मु.जंगल	16.0600	0.00
176	16.0600	गै.मु.बरड़ा	16.0600	0.00
खसरे - 34	502.8500		502.8500	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- बिलेण्डी

पटवार हल्का :- मानपुरा

भू.अभि.नि. :- खजूरनाकला

तहसील :- अन्ता

जिला :- बाराँ

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 78

खाता संख्या पुराना :- 78

काश्तकार का नाम:-

1. उप वन सरक्षंक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
114	5.8000	गै.मु.बरड़ा	5.8000	0.00			
115	9.5800	गै.मु.बरड़ा	9.5800	0.00			
116	7.7000	गै.मु.बरड़ा	7.7000	0.00			
138	10.8100	गै.मु.बरड़ा	10.8100	0.00			
.49	3.6300	गै.मु.बरड़ा	3.6300	0.00			
39	13.2000	गै.मु.बरड़ा	13.2000	0.00			
41	5.0000	गै.मु.बरड़ा	5.0000	0.00			
42	6.5200	गै.मु.बरड़ा	6.5200	0.00			
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
जा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

; staff at t trained'

In October 2017, the NTCA gave in-principle permission for MHTR and allowed translocation of two females and one male from Ranthambore

dlife warden for moni- ing after the second ti- ss was relocated from ithambore. With no port from top officials, request went unheed- "The tracking staff at TR is not equipped and only received a 15-day ning. After the cubs born to MT-4 in April year, a request was to senior officials for tional tracking force. the request was kept r wraps," said a ce.

urces further said choosing the tigress, h has been a careless er, for relocation was vrong at the adminis- e level.

he tigress has a histo- eating its cubs. The ti- was famous as 'light- in Ranthambore. It birth to two cubs in hati forest area last t was suspected that one cub," sources

ief Wildlife War- Arindam Tomar, did spond to the call.

Surcharge of ₹ 2.00 will be ble on this edition for all s except Alwar, Jodhpur, d Udaipur. This Surcharge n addition to the regular ice printed on the ad

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow 226024 Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email : (Env.lm_env@rediffmail.com, (Forestigoemoefrolko@gmail.com

पत्र सं. [illegible]/राज./06/7/2015/एफ सी./[illegible]

सेवा में,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,

वन विभाग, अरण्य भवन,

[illegible], जयपुर, राजस्थान

दिनांक 27.12.2018

Online Proposal No. - FP/RAJ./ROAD/6996/2014

विषय : Diversion of 2.5 ha. of forest land construction of road form Bhanwargarh to Ranwadi, under RRSMP in Rajasthan in Baran Forest Division.

सन्दर्भ : अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक - एफ14 (Road)/2016/एफ.सी.ए./ [illegible]/3800, दिनांक 22.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक- एफ14(Road)/2016/एफ.सी.ए./[illegible]/3800, दिनांक 22.10.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, [illegible] वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति [illegible] दिनांक 06.02.2018 [illegible] प्रधान मुख्य वन संरक्षक [illegible] जयपुर, राजस्थान [illegible] 2.5 हे. वन भूमि के [illegible] आर.आर.एस.एम.पी. योजना [illegible] करता है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन विभाग के पक्ष में [illegible] 2.5 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों [illegible] प्रदान की जायेगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की [illegible] निर्धारित राशि [illegible], नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
   (ख) [illegible] ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की [illegible] ई-रसीद की [illegible] सैद्धान्तिक स्वीकृति की [illegible] क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण [illegible]
   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र [illegible] प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो [illegible] प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का [illegible] (forward) एवं पीछे (backward) [illegible] (bearing) भी लिखनी होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] कार्य-अनुमति (Working Permission) के पूर्व प्रेषित की जायेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि [illegible] अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।
8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना [illegible] वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय

(वी.के. सिंह)

अति. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
[illegible].नि.वि. खण्ड शाहाबाद

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest)goimoefrolko@gmail.com

दिनांक :27.12.2018

पत्र सं. 8बी/राज./06/7/2015/एफ.सी./555

सेवा में,
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. - FP/RAJ./ROAD/6996/2014

विषय : Diversion of 2.5 ha. of forest land construction of road form Bhanwargarh to Ranwasi. under RRSMP in Rajasthan in Baran Forest Division.

सन्दर्भ : अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक - एफ14 (Road)/2016/एफ.सी.ए./ प्रमुवसं./3800. दिनांक 22.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी , वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक-एफ14(Road)/2016/एफ.सी.ए./पी.सी.सी.एफ/3800. दिनांक 22.10.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण)अधिनियम, 1980 की धारा(2)के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बारन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत भंवरगढ़ से रनवासी तक सड़क निर्माण हेतु 2.5 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.5 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षा [illegible] रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(प्रचलित दरों को समाहित कते हुए यथा संशोधित)कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3(क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

(ख)इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो)प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा)प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा।अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी । मक डिस्पोजल योजना कार्य-अनुमति(Working Permission)के पूर्व प्रेषित की जायेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार के वन संरक्षण अधिनियम 1980 कर उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।
8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं / वचनबद्धता प्रमण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 1013

दिनांक : 28/10/2020

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :– Diversion of 2.50 ha of forest land for construction of (Online Proposal No :- FP/RAJ/ROAD/6996/2014) road from Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020–21/ 9361 दिनांक 14.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2..50 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.50 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.50 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.50 है0 X 164100/– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 410250/– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.50 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.50 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1565000/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है।

	(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई– रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी हेतु जमा धनराशि का विवरा दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई– रसीद की छाया प्रति संलग्न है। (ग) शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया आयेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त सख्या 4 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. ल्लिरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। मक डिस्पोजल योजना कार्य अनुमति (Working Permission) के पूर्व प्रेषित की जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन नही किया जाएगा।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन नही करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविषय में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त सख्या 7 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 8	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना / प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये। (श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्रांक 3463 दिनांक 11.04.2019 के क्रम में।)	संलग्न कर दी गई है।

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद